उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 06.02.2026

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांकः -06.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरुकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5” के अन्तर्गत आज दिनांक- 06.02.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

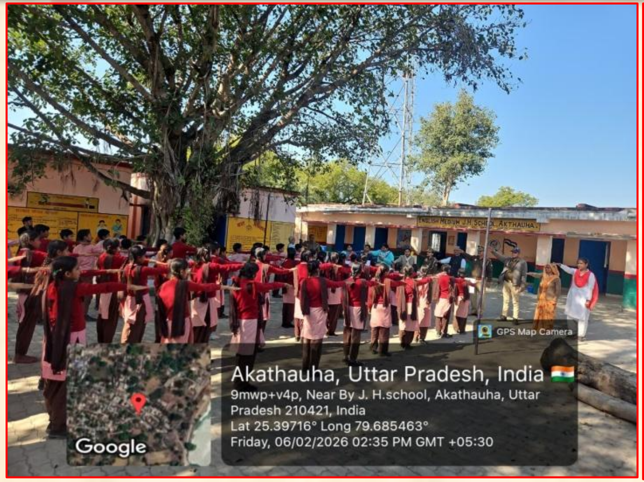

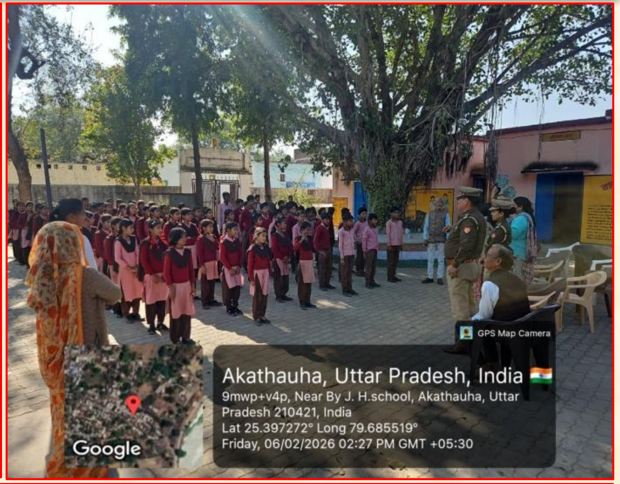

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 06.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा ने पुलिस लाइन में "शुक्रवार की परेड" की सलामी लेकर किया निरीक्षण, अनुशासन व एकरूपता पर दिया विशेष बल

आज दिनांक 06.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित "शुक्रवार की परेड" की सलामी ली गई। परेड का उद्देश्य पुलिस बल में अनुशासन, एकरूपता, शारीरिक दक्षता एवं टीम भावना को और अधिक सुदृढ़ करना रहा।

परेड के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा समस्त अधि0/कर्मचारियों की ड्रिल का गहन निरीक्षण किया गया। परेड में कदमताल, ड्रिल मूवमेंट, टर्नआउट एवं एकरूपता की बारीकी से समीक्षा करते हुए महोदय द्वारा आवश्यक सुधारात्मक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

इस परेड में जनपद महोबा के विभिन्न थानों एवं समस्त शाखाओं में नियुक्त पुलिसकर्मी के साथ-साथ (RTC) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु आरक्षी भी सम्मिलित हुए, जिन्होंने अनुशासन एवं समर्पण के साथ परेड में सहभागिता कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

परेड उपरांत पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आदेश कक्ष में उपस्थित होकर सभी गार्द रजिस्टरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी व्यवस्था, गार्द डिटेल एवं अभिलेखों के रखरखाव की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को ड्यूटी में सतर्कता, समयबद्धता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा कहा गया कि नियमित परेड से पुलिस बल में अनुशासन, एकजुटता, शारीरिक फिटनेस एवं कार्यकुशलता का विकास होता है, जो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं जनता को बेहतर एवं प्रभावी पुलिस सेवा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

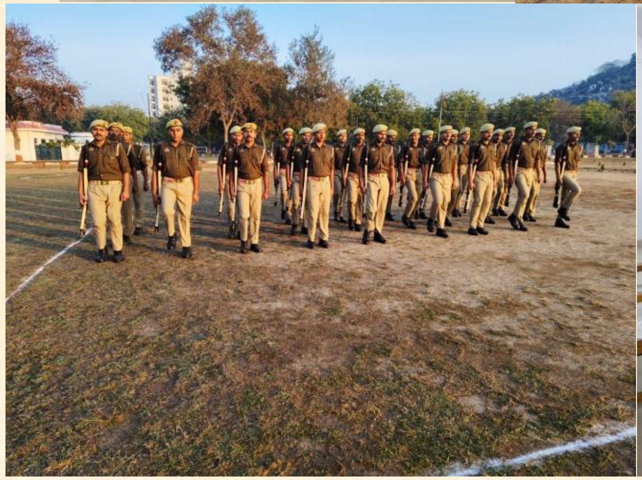

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 06.02.2026
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उ0नि0 से निरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए श्री मनोज कुमार तिवारी को प्रतीक चिन्ह लगाकर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा आज दिनांक 06.02.2026 को जनपद पुलिस कार्यालय में आयोजित एक गरिमामय समारोह के दौरान उपनिरीक्षक से निरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए श्री मनोज कुमार तिवारी के कंधों पर प्रतीक चिन्ह/स्टार लगाकर उन्हें विधिवत पदोन्नति प्रदान की गई।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा श्री मनोज कुमार तिवारी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि पदोन्नति के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, ऐसे में कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं संवेदनशीलता के साथ किया जाना अपेक्षित है।

उन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग को और अधिक सशक्त बनाने, आमजन से मधुर एवं सहयोगात्मक व्यवहार बनाए रखने तथा कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया।

इस अवसर पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पदोन्नत अधिकारी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 06.02.2026

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति 5.0 एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

महिला कल्याण विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज दिनांक 06.02.2026 को मिशन शक्ति 5.0 एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत थाना चरखारी क्षेत्र के विद्यालयों में बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में किया गया।

सखी वन स्टॉप सेंटर से केंद्र प्रबंधक क्षमा द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस दौरान बालक-बालिकाओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों से अवगत कराते हुए बाल विवाह को एक सामाजिक अपराध बताया गया।

प्रभारी महिला थाना, उप निरीक्षक सुश्री शिल्पी शुक्ला द्वारा टोल-फ्री नंबर 112, 1098, 1090, 181 एवं 1076 की जानकारी दी गई तथा आवश्यकता पड़ने पर इन नंबरों के उपयोग हेतु जागरूक किया गया।

हब से जनरल स्पेशलिस्ट रीता द्वारा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं—

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना एवं निराश्रित विधवा पेंशन योजना—की विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान घरेलू हिंसा, बाल विवाह रोकथाम, लैंगिक समानता एवं दहेज प्रतिषेध जैसे विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। साथ ही सखी वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए उपस्थित छात्र-छात्राओं को बाल विवाह न करने एवं रोकने की शपथ दिलाई गई।

इस अवसर पर उप निरीक्षक रामकृष्ण तिवारी, सखी वन स्टॉप सेंटर से केस वर्कर श्रीमती रीना सिंह, जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमारी, संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 06.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

SPEL कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को महिला हेल्प डेस्क, फील्ड यूनिट एवं CCTNS की कार्यप्रणाली से कराया गया अवगत

आज दिनांक 06.02.2026 को महिला थाना, थाना कोतवाली नगर एवं फील्ड यूनिट जनपद महोबा की पुलिस टीम द्वारा भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, नियम एवं ग्रन्थ, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार संचालित Student Police Experiential Learning (SPEL) कार्यक्रम के तृतीय चरण के अंतर्गत विशेष सत्र का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं क्षेत्राधिकारी नगर महोदय (नोडल अधिकारी SPEL-3) जनपद महोबा के कुशल निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत थानों से नामित नोडल अधिकारियों द्वारा चयनित शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को महिला हेल्प डेस्क, फील्ड यूनिट एवं CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) की कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से महिलाओं की शिकायतों का पंजीकरण, पीड़ित महिलाओं से संवेदनशील व्यवहार, मिशन शक्ति के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं, महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं एवं त्वरित पुलिस सहायता की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।

साथ ही फील्ड यूनिट की भूमिका के अंतर्गत घटनास्थल पर त्वरित पहुँच, प्राथमिक जांच, साक्ष्य संकलन, घटनास्थल सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में फील्ड यूनिट की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर व्यवहारिक जानकारी दी गई।

इसके अतिरिक्त CCTNS प्रणाली के माध्यम से एफआईआर पंजीकरण, अपराध एवं अपराधियों का डिजिटल रिकॉर्ड, विभिन्न थानों के मध्य सूचना साझा करने की प्रक्रिया, तथा पारदर्शी एवं तकनीक-सक्षम पुलिसिंग के संबंध में भी छात्र-छात्राओं को अवगत कराया गया।

SPEL कार्यक्रम का उद्देश्य अनुभवात्मक शिक्षण के माध्यम से युवाओं में संज्ञानात्मक कौशल, सामाजिक चेतना एवं नागरिक दायित्व का विकास करना तथा पुलिस-जन सहभागिता को सुदृढ़ करते हुए युवा पीढ़ी को "पुलिस मित्र" के रूप में विकसित करना है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 06.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

एससी/एसटी एक्ट अभियोग में 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 4000 रु. जुर्माने से किया गया दण्डित-

- श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के क्रम में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा "जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने एवं जानलेवा हमलवा व जान से मारने की धमकी देने" के प्रकरण से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में आरोपी 02 अभियुक्तों को दोषसिद्ध घोषित करते हुए दण्डित किया गया है।
- विवरण निम्नवत है:-

थाना श्रीनगर में पंजीकृत मु.अ.सं. 296/2015 धारा- 325/323/504/506/34 भादवि व SC/ST Act. से सम्बन्धित अभियुक्तगण क्रमशः 1. जयवर्धन पुत्र सोहन 2. मोतीलाल पुत्र सुदर्शन लोधी निवासीगण सिजवाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 04-04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 06.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

हमला कर घायल करने व जान से मारने की धमकी के अभियोग में अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व ₹3,500/- अर्थदण्ड

- श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के क्रम में ए.एस.जे/एफ.टी.सी. कोर्ट महोबा द्वारा "हमला कर घायल कर देने व जान से मारने की धमकी देने" के प्रकरण से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में आरोपी अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए दण्डित किया गया है।
- विवरण निम्नवत है:-

थाना कबरई में पंजीकृत मु.अ.सं. 152/2018 धारा- 307/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त धन्नी कुशवाहा पुत्र सुमनिया निवासी मु0 गांधी नगर थाना कबरई जनपद महोबा को 03 वर्ष का कारावास व 3,500/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।

@MahobaPolice